न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 126/2017 अपील

1. शंकरलाल पिता हमीर ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार रायपुर दिनांक 27.09.2017 प्रकरण सं. 177/2017

उपस्थित –

1. श्री मनोहर लाल बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.09.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार रायपुर का बमामलें प्रकरण सं. 177/2017 निर्णय दिनांक 27.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का नाथडियास ने एक बिना दिनांकित रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें ग्राम पनोतिया की आराजी सं. 677 रकबा 0.05 हैक्ट. व 678 रकबा 0.06 हैक्ट. पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा बताया। फिर इसी रिपोर्ट की पुस्त पर कांट छांट कर आराजी सं. 677 का रकबा 0.04 हैक्ट. कर दिया गया। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार रायपुर ने पत्रावली कायम कर तारीख पेशी दिनांक 27.09.2017 के नोटिस अपीलार्थी की उपस्थिति हेतु जारी किये। तारीख पेशी को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं उक्त पत्रावली में अपनी ओर से जवाब / साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। इस पर तहसीलदार रायपुर ने अपीलार्थी के खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिये और कहा कि आगामी दिनांक 30.10.2017 दे दी है। उक्त दिनांक को जो भी जवाब/दस्तावेज पेश करना चाहो कर देना। जिस भूमि को पटवारी हल्का नाथडियास ने बिलानाम भूमि बताकर कार्यवाही प्रारम्भ की वो भूमि बिलानाम नहीं होकर आबादी की भूमि है जो अपीलार्थी ने दिनांक 26.09.2001 को बिल एवज 25,001/–रूपये में पूर्व मालिक छोगा पिता नेता भील से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया व उक्त भूमि पर काफी लागत लगाकर बाडा बनाया, तीन तरफ पत्थरों की

दीवार बनायी व अपने मवेशी बांधने व घास, फसल व कृषि उपकरण आदि रखने के लिये लोहे के टीनशेड भी बनाया, लोहे का मुख्य दरवाजा भी अपीलार्थी ने लगाया। ग्राम पनोतिया के ख्यालीलाल, सुरेश व कन्हैयालाल ब्राह्मण अपीलार्थी के उक्त बाडे को हडपना चाहते हैं। तब अपीलार्थी ने दिनांक 12.10.2017 को कन्हैयालाल ब्राह्मण व रेस्पोडेण्ट तहसीलदार रायपुर के विरूद्व सिविल न्यायालय गंगापुर में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद एवं स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके प्रकरण सं. कमशः 68/2017 ई.दी. व 58/2017 मु.दी. होकर प्रकरण जैर कार्यवाही है। जिसमें पक्षकारान् के हक व अधिकार तय होने है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर का निर्णय दिनांक 27.09.2017 अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान लेखबद्व नही हैं और कानून को ताक में रखकर आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य हैं। अपील अन्दर अवधि में शुमार कराने हेतु धारा 5 कानून मियाद का अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के निर्णय दिनांक 27.09.2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रकरण को पुनः रिमाण्ड फरमाया जावे ताकि अपीलार्थी को अपनी साक्ष्य सफाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मिल सके।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.11.2017 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गये।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया हैं जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं। ग्राम पनोतिया के ख्यालीलाल, सुरेश व कन्हैयालाल ब्राह्मण अपीलार्थी के उक्त बाडे को हडपना चाहते हैं। तब अपीलार्थी ने दिनांक 12.10.2017 को कन्हैयालाल ब्राह्मण व रेस्पोडेण्ट तहसीलदार रायपुर के विरूद्व सिविल न्यायालय गंगापुर में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद एवं स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके प्रकरण सं. कमशः 68/2017 ई.दी. व 58/2017 मु.दी. होकर प्रकरण जैर कार्यवाही है। जिसमें पक्षकारान् के हक व अधिकार तय होने है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर का निर्णय दिनांक 27.09.2017 अपास्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री शंकर पिता हमीर ब्राह्मण निवासी पनोतिया के द्वारा ग्राम पनोतिया के आराजी नं. 677 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि में से 0.04 हैक्ट. एवं आराजी नं. 678 रकबा 0.06 हैक्ट.

कुल 0.10 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण सं. 177/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर शंकर पिता हमीर ब्राह्मण द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 90 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 50/–रू. से दिनांक 27.09.2017 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार रायपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के आराजी नं. 677 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि में से 0.04 हैक्ट. एवं आराजी नं. 678 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल 0.10 हैक्ट. भूमि पर तहसीलदार रायपुर के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजियात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 50/– शास्ति आरोपित की गयी । उक्त आराजी किस्म बारानी III भूमि है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 677 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि में से 0.04 हैक्ट. एवं आराजी नं. 678 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल 0.10 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के आराजी नं. 677 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि में से 0.04 हैक्ट. एवं आराजी नं. 678 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल 0.10 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोषी

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, रायपुर बमामले प्रकरण सं0 177/2017 निर्णय दिनांक 27.09.2017 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2017 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा